

राजस्थान सरकार  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)( )/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013/132953-1211

जयपुर, दिनांक: 16.7.18

1. उप निदेशक  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
राजस्थान।  
( अलवर हनुमानगढ,  
जैसलमेर कोटा, प्रतापगढ,  
टोंक जिले को छोडकर शेष सभी जिले। )
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
(सम्बन्धित जिलों की बाल  
विकास परियोजना अधिकारियों  
को छोडकर शेष सभी।)

विषय:- दिनांक 18.07.2018 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सन्दर्भ में।

निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा निदेशालय के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेन्टर, जयपुर से दिनांक 18.07.2018 को दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे तक वार्ता कर परिसीमन की समीक्षा की जायेगी। उप निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक को परिसीमन से सम्बन्धित सूचना के साथ मय स्टॉफ जिला मुख्यालय स्थित DOA के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

साथ ही सम्बन्धित जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त दिनांक को मय स्टॉफ पंचायत समिति स्थित जन-सुनवाई केन्द्र के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एजेण्डा निम्नानुसार है:-

समय	संभागी जिले	चर्चा के मुख्य एजेण्डा बिन्दु
2.00 बजे से 4.00 बजे तक	अलवर, हनुमानगढ, जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ, टोंक के अलावा	परियोजनाओं का परिसीमन।

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प.11(2)( )/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013/132953-1211 जयपुर, दिनांक 16.07.18  
प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. निदेशालय स्थित समस्त संबंधित अधिकारीगण उक्त विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सूचना सहित भाग लेना सुनिश्चित करे।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

संयुक्त निदेशक (मो.)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर